an>

Title: Need to provide EVM machines connected with printers.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश में वोटिंग के लिए ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ईवीएम मशीन का उपयोग सन् 1999 से किया जा रहा है। आज तक कई चुनावों के समय उम्मीदवारों और जनता की ओर से ईवीएम के बारे में शिकायतें आती रही हैं। ईवीएम में गड़बड़ी की घटना को कई बार मीडिया ने भी दिखाया है। ईवीएम में गड़बड़ी न हो, इसके लिए इस मशीन में एक प्रिंटर जोड़ा जाए, ताकि वोटर ने जिस उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया हो, उसके प्रिंट आउट को वह देख सके और स्लिप प्रिंटर से लगे बॉक्स में जमा हो जाए। ईवीएम से प्रिंटेड स्लिप आने पर वोटर को विश्वास होगा कि उसने किस उम्मीदवार को वोट दिया है।

महोदय, इस विÂषय पर महाराष्ट्र चुनाव के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का अक्तूबर, 2013 को एक आदेश आया था। इसके बावजूद भी महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाल ही में महाराष्ट्र में हुए जिला परिÂषद, पंचायती राज और महापालिका चुनावों में ई.वी.एम. वोटिंग मशीन द्वारा वोट की प्रक्रिया में कई गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। सभी पक्ष के उम्मीदवारों ने इसकी शिकायत भी की है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ कि ई.वी.एम. वोटिंग मशीन द्वारा मतदान के लिए वोटिंग प्रिंट स्लिप की अनिवार्यता को जल्द से जल्द लागू किया जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu, Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Rahul Shewale and Dr. Shrikant Eknath Shinde are permitted to associate with the issue raised by Shri Shrirang Appa Barne.